रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 20, 2018/चैत्र 30, 1940
No. 161] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 20, 2018/CHAITRA 30, 1940

भारतीय खाद्य निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2018

सं. 117

सं.ईपी.36(1)/2017.—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37वां) की धारा-45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से, भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 में संशोधन करने के लिए भारतीय खाद्य निगम एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथाः-

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा आरंभः**

(i) ये विनियम, भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) (पहला संशोधन) विनियम, 2018 कहे जाएंगे।

(ii) ये सरकारी गजट में अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे ।

2. **परिभाषाः** इस विनियम में शब्दों की परिभाषा और उनका अर्थ तथा पदों के पदनाम का अर्थ वही होगा जैसाकि खाद्य निगम अधिनियम,1964 तथा भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 में दिया गया है।

3. भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम 1971 में -

<u>विनियम 58(4) को प्रतिस्थापित किया जाए, यथा</u>:

58(4)(क) - अनुशासनात्मक प्राधिकारी, कर्मचारी को आरोप की मदों की एक प्रति, कदाचार अथवा दुर्व्यवहार के आरोप का विवरण तथा दस्तावेजो एवं साक्ष्यों की सूची भेजेगा अथवा आरोप की मदों को भेजने का कारण बताएगा जिसमें प्रत्येक आरोप-पत्र को बनाए रखने का प्रस्ताव किया गया है ।

4(ख) आरोप की मदें प्राप्त होने पर, यदि कर्मचारी चाहे तो उसे अपने बचाव में लिखित कथन प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा तथा इस बात का भी उल्लेख करेगा कि क्या पन्द्रह दिनों की अवधि के अंदर उसकी व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की जाए जिसे एक बार में

और पन्द्रह दिनों से अधिक अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है जिसके लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में कारण रिकॉर्ड किए जाएं।

बशर्ते किसी भी परिस्थिति में, कर्मचारी द्वारा लिखित रूप में कथन दर्ज करने की समय-सीमा को आरोप की मदों के प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिनों से अधिक नहीं बढ़ाया गया हो।

विनियम 58(13) को प्रतिस्थापित किया जाए, यथा:

58(13) - उप-विनियम (12) में संदर्भित मांग के प्राप्त होने पर, निगम में अपेक्षित दस्तावेजों को निगरानी अथवा आधिपत्य में रखने वाले प्रत्येक प्राधिकारी उसे प्रस्तुत करेगा अथवा ऐसी मांग प्राप्त होने से एक माह के भीतर जांच प्राधिकारी के समक्ष अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र जारी करेगा**:**

बशर्ते कि यदि अपेक्षित दस्तावेजों को निगरानी अथवा आधिपत्य में रखने वाला प्राधिकारी दिये गए कारणों से संतुष्ट हैं, तो वह लिखित रूप में यह दर्ज करेगा कि सभी या किसी भी ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करना सार्वजनिक हित या राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध होगा, तदनुसार ऐसी मांग की प्राप्ति के एक महीने के भीतर इससे जांच प्राधिकारी को सूचित करेगा और जांच प्राधिकारी इतना सूचित होने पर कर्मचारी को सूचित करेगा और ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करने अथवा उन्हें पता लगाने के लिए की गई मांग को वापस ले लेगा।

विनियम 58 (23) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम को जोड़ा जाए, यथा:

58(24) (क) - जांच प्राधिकारी जांच का निष्कर्ष निकाले और जांच प्राधिकारी के तौर पर अपनी नियुक्ति के आदेश प्राप्त होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

24(ख) - जहां धारा (क) में निर्दिष्ट समय सीमा का पालन करना संभव नहीं हो, वहाँ जांच प्राधिकारी कारण दर्ज करे और अनुशासनिक प्राधिकारी से लिखित में समय-सीमा बढ़ाने की मांग की जाए, जो जांच के पूरा होने के लिए एक बार में छः महीने से अधिक के अतिरिक्त समय की अनुमति नहीं दे सकता है।

24(ग) - किसी भी उचित कार्य के लिए एक बार में छः महीने से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त कारणों को लिखित में दर्ज किया जाए।

[विज्ञापन-III/4/असाधारण./35/18]

संजय गर्ग**,** सचिव

टिप्पणी: मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 08-05-1971 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे तथा तदनुरूप अंतिम बार निम्न के माध्यम से संशोधित किये गए |

क्र. सं.	**शीर्षक**	**दिनांक**
1.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(पहला संशोधन) विनियम, 2007	15.05.2007
2.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(पहला संशोधन) विनियम, 2009	14.09.2009
3.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(पहला संशोधन) विनियम, 2010	20.03.2010
4.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(दूसरा संशोधन) विनियम, 2010	16.07.2010
5.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(तीसरा संशोधन) विनियम, 2010	20.07.2010
6.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(चौथा संशोधन) विनियम, 2010	23.11.2010
7.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(पहला संशोधन) विनियम, 2011	13.04.2011
8.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(दूसरा संशोधन) विनियम, 2011	24.06.2011
9.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(तीसरा संशोधन) विनियम, 2011	24.06.2011
10.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(पहला संशोधन) विनियम, 2013	27.06.2013
11.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(पहला संशोधन) विनियम, 2014	16.07.2014
12.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(दूसरा संशोधन) विनियम, 2014	16.07.2014
13.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(पहला संशोधन) विनियम, 2015	06.04.2015

14.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(दूसरा संशोधन) विनियम, 2015	29.05.2015
15.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(तीसरा संशोधन) विनियम, 2015	13.07.2015
16.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(पहला संशोधन) विनियम, 2016	10.05.2016
17.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(दूसरा संशोधन) विनियम, 2016	09.09.2016
18.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(पहला संशोधन) विनियम, 2017	31.03.2017
19.	भा.खा.नि.,(कर्मचारीवृन्द)(दूसरा संशोधन) विनियम, 2017	31.03.2017

FOOD CORPORATION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2018

NO. 117

No.EP-36(1)2017.—In exercise of the powers conferred by Section 45 of Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) and with the previous sanction of the Central Government, the Food Corporation of India hereby makes the following Regulations further to amend the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 namely:-

1. Short Title and Commencement:

(i) These Regulations shall be called the Food Corporation of India (Staff) (First Amendment) Regulations, 2018.

(ii) These shall come into force from the date of Notification in the Official Gazette.

2. Definitions: The definition and meaning of the words and designation of posts in this Regulations shall have the same meaning as contained in the Food Corporations Act, 1964 and the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971.

3. In FCI (Staff) Regulations 1971 -

Regulation 58(4) may be substituted namely :

58(4)(a) - The disciplinary authority shall deliver or cause to be delivered to the employee a copy of the articles of charge, the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour and a list of documents and witnesses by which each article of charge is proposed to be sustained.

(4)(b) - On receipt of the articles of charge, the employee shall be required to submit his written statement of defence, if he so desires, and also state whether he desires to be heard in person, within a period of fifteen days, which may be further extended for a period not exceeding fifteen days at a time for reasons to be recorded in writing by the Disciplinary Authority:

Provided that under no circumstances, the extension of time for filing written statement of defence shall exceed forty-five days from the date of receipt of articles of charge.

Regulation 58(13) may be substituted namely :

58(13) - On receipt of the requisition referred to in sub-regulation (12), every authority in the Corporation having the custody or possession of requisitioned documents shall produce the same or issue a non-availability certificate before the Inquiring Authority within one month of the receipt of such requisition:

Provided that if the authority having the custody or possession of the requisitioned documents is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that the production of all or any of such documents would be against the public interest or security of the State, it shall inform the Inquiring Authority accordingly within one month of the receipt of such requisition and the Inquiring Authority shall, on being so informed, communicate the information to the employee and withdraw the requisition made by it for the production or discovery of such documents.

After Regulation 58(23) the following Sub-Regulation may be inserted namely:

58(24)(a) - The Inquiring Authority should conclude the inquiry and submit his report within a period of six months from the date of receipt of order of his appointment as Inquiring Authority.

24(b) - Where it is not possible to adhere to the time limit specified in clause (a), the Inquiring Authority may record the reasons and seek extension of time from the disciplinary authority in writing, who may allow an additional time not exceeding six months for completion of the Inquiry, at a time.

24(c) - The extension for a period not exceeding six months at a time may be allowed for any good and sufficient reasons to be recorded in writing by the Disciplinary Authority.

[ADVT.-III/4/Exty./35/18]

SANJAY GARG, Secy.

Note:- The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide Notification dated 8-5-1971 and subsequently have been amended being lastly *vide*:-

Sl. No.	Title	Dated
1.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2007	15.05.2007
2.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2009	14.09.2009
3.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2010	20.03.2010
4.	FCI (Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2010	16.07.2010
5.	FCI (Staff) (3rd Amendment) Regulations, 2010	20.07.2010
6.	FCI (Staff) (4th Amendment) Regulations, 2010	23.11.2010
7.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2011	13.04.2011
8.	FCI (Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2011	24.06.2011
9.	FCI (Staff) (3rd Amendment) Regulations, 2011	24.06.2011
10.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2013	27.06.2013
11.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2014	16.07.2014
12.	FCI (Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2014	16.07.2014
13.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2015	06.04.2015
14.	FCI (Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2015	29.05.2015
15.	FCI (Staff) (3rd Amendment) Regulations, 2015	13.07.2015
16.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2016	10.05.2016
17.	FCI (Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2016	09.09.2016
18.	FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 2017	31.03.2017
19.	FCI (Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2017	31.03.2017

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.04.26 22:55:20 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.